Bihar Excise Sub Inspector Exam Syllabus 2018

<u>लिखित प्रतियोगिता परीक्षा</u> :- बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी । लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी यथा - प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा । लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे ।

<u>प्रारम्भिक परीक्षा</u> - प्रारम्भिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी । उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे । इसमें 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किये जायेंगे । प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 (बीस) गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जायेगा । मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा ।

<u>मुख्य परीक्षा</u> :- प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा । मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे ।

प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिन्दी का 2 (दो) घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अहर्तांक 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा । सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जायेगा ।

द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच से सम्बन्धित होगा । द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या- 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी ।

दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जायेगा । उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जायेगी ।

मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 (छः) गुणा अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जायेगा । अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा । शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा ।